

लय उपखण्ड

अधिकारी

कठूमर जिला अलवर

तारीख रजू

बनाम

ताराचन्द

भीमसिंह वगैरा

रीख
स हुकम
जारी हुए

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
1.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 402, 509, 510, 512, 512/839, 403, 407, 408, वाके ग्राम दारौदा तहसील कठूमर की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 08.12.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 08.12.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) रजि०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/23	<p>वकील का नाम तपोस्थार । साबिक आदेश दिनांक की पालना में पत्रा जी वास्तु 3, 5 शेष गीतली दिनांक 18/12/23 को पत्र हो</p>	
19/12/23	<p>(5) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलगपर) कठूमर (अलगपर) के आदेश के प्रमाण 07/12/23 में खीका (मय खातिज सिमा जा अरुण है हरे प्रमना - पत्र 22/12/23 चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है) का प्रमाण प्रमना - पत्र 22/12/23 की रोज मय खातिज सिमा जा है पत्रावली में मय सुमार होकर भूखण्ड के साथ - सख्त रहे)</p> <p>(कठूमर) (5) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलगपर)</p>	